

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के तहत)

1. District सरगुजा (अंबिकापुर) **P.S. (थाना):** अंबिकापुर **Year (वर्ष):** 2025

FIR No.(प्र.सू.रि.सं.): 0122

Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 25/02/2025 14:46 बजे

2. S.No. (क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	319(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	320
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	322
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(3)
6	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	338
7	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	340

3. (a) Occurrence of offence(अपराध की घटना):

1. Day (दिन): बुधवार

Date From (दिनांक से): 10/07/2024

Date To (दिनांक तक): 10/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 1

Time From (समय से): 00:00 बजे

Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 25/02/2025

Time (समय): 14:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): **Entry No. (प्रविष्ट सं.):** 008

Date & Time (दिनांक और समय): 25/02/2025 14:33 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम 2 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): , उप पंजीयक कार्यालय अ0पुर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): शिवशंकर तिवारी की ओर से थाना अम्बिकापुर

(b) Father's Name (पिता का नाम): स्व0 राजेन्द्र नाथ तिवारी

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
--------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	आवासीय वर्तमान पता	, , , ब****, स****, छत्तीसगढ़, भारत
2	आवासीय स्थायी पता	, , , ब****, स****, छत्तीसगढ़, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-*****

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	चन्द्र किशोर तिवारी		पिता : रेवाराम शर्मा	न**** स**** छत्तीसगढ़ भारत
2	अतुल तिवारी		पिता : रेवाराम शर्मा	न**** स**** छत्तीसगढ़ भारत
3	आलोक तिवारी		पिता : रेवाराम शर्मा	उ**** र**** छत्तीसगढ़ भारत
4	आरती देशमुख		पिता : मनोज देशमुख	म**** स**** छत्तीसगढ़ भारत

8.Reasons of delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No.	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में): 0

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
--------------	---------------------------------

12 First Informaion contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं थाना अम्बिकापुर मे निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हूं, मान0 न्यायालय सुमित कुमार हर्षयाना , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बिकापुर जिला सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक क्यू/मु0न्या0 मजि0/2025 अम्बिकापुर दिनांक 19-2-2025 मय आर्डरशीट व परिवाद पत्र म0आर0 761 किरण अमलावती के द्वारा पेश करने पर अवलोकन पश्चात आर्डरशीट मे मान0 न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 05 उमेश्वर बाज तात्कालीन उप पंजीयक वर्तमान तहसीलदार अ0पुर की कोई संलिप्तता दर्शित नही होना लेख किया गया है, अनावेदक क्रमांक 05 उमेश्वर बाज का नाम विलोपित करते हुये अनावेदक क्रमांक 01- चन्द्र किशोर तिवारी पिता रेवाराम तिवारी 02- अतुल तिवारी पिता रेवाराम तिवारी सा0 नगर निगम कार्यालय के पास केदारपुर अ0पुर 03- आलोक तिवारी पिता स्व0 रेवाराम तिवारी सा0 उदयान पथ चौबे कालोनी रायपुर 04- आरती देशमुख पति मनोज देशमुख सा0 मकान न0 H

24 सिचाई कालोनी प्रतापपुर नाका के पास अ0पुर के विरुद्ध अपराध सदर धारा 318(4), 319(2), 320,322,336(3), 338,340 बीएनएस का प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाता है नकल परिवाद पत्र जैल है-न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० शिवशंकर तिवारी आत्मज स्व. राजेन्द्र नाथ तिवारी उम्र 41 वर्ष निवासी बौरीपारा अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० आवेदक प्रति 1 चंद्र किशोर तिवारी आत्मज स्व. रेवारांम शर्मा उम्र लगभग 70 वर्ष, 2 अतुल तिवारी आत्मज स्व. रेवारांम शर्मा उम्र लगभग 55 वर्ष. दोनो निवासी नगरपालिक निगम कार्यालय के पास, केदारपुर अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग.3. आलोक तिवारी आत्मज स्व. रेवारांम शर्मा उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी 10 उद्यानपथ चौबे कालोनी, रायपुर जिला रायपुर छ.ग.4. आरती देशमुख पत्नि मनोज देशमुख उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी मकान नंबर एच 24, शिंवाई कालोनी प्रतापपुर नाका के पास अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग.5. उमेश्वर बाज, तात्कालीन उप पंजीयक (वर्तमान तहसीलदार अम्बिकापुर) अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ० ग०. अनावेदकगण (६) आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आवेदक की ओर से निम्न निवेदन प्रस्तुत है - 1 यह कि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 01 से लेकर 04 आपस में पूर्व परिचित है तथा उनके संयुक्त भागीदारी की फर्म मेसर्स तिवारी कंस्ट्रक्शन वर्ष 2013 में कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं बिलासपुर से पंजीकृत किया गया था। उक्त फर्म द्वारा भवन निर्माण का कार्य शासकीय टेंडर प्राप्त कर किया जाता है। 2. यह कि. उक्त फर्म के समस्त कार्य एवं आहरण व संवितरण हेतु आवेदक को वर्ष 2017 में अनावेदक क्रमांक 01 से 04 तक के द्वारा नोटरी के समक्ष हस्ताक्षर कर अधिकार पत्र निष्पादित कर, आवेदक को अधिकृत किया गया था। आवेदक द्वारा फर्म के समस्त कार्यों को करने एवं कई शासकीय टेंडर मिल जाने के कारण उक्त फर्म वर्तमान में एक बड़ी फर्म के रूप में विकसित हो गयी है तथा फर्म का टर्न ओवर भी काफी बढ़ गया है। 3. यह कि. आवेदक द्वारा फर्म के समस्त कार्य करने हेतु बाजार से लगभग 2.30.00,000/- (दो करोड़ तीस लाख) रुपये की उधार निर्माण सामग्री क्रय किया गया तथा फर्म के कार्यों में उक्त सामग्रियों का उपयोग किया गया परंतु जब आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 से 04 तक को उक्त उधार सामग्रियों के भुगतान करने हेतु राशि की मांग की गई तो अनावेदक क्रमांक 01 से 04 तक के द्वारा उक्त भुगतान से इंकार यह कहते हुए कर दिया गया कि, यह उधार आपने लिया है तो इसका भुगतान आप अपने पास से करेंगे। 4. यह कि. अनावेदक क्रमांक 01 से 04 द्वारा जब उधार राशि के भुगतान हेतु इंकार किया गया तब आवेदक द्वारा फर्म के युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा समता कालोनी रायपुर स्थित खाते में होल्ड हेतु दिनांक 31.05.2024 को आवेदन प्रस्तुत कर उक्त खातों के आहरण पर होल्ड करा दिया गया। 5. यह कि, अनावेदक क्रमांक 01 से 04 तक के द्वारा दिनांक 10.07.2024 को अनावेदक क्रमांक 05 के कार्यालय उप पंजीयक अम्बिकापुर (पंजीयन) जिला सरगुजा छ.ग. में उपस्थित होकर सुनियोजित साजिश करते हुए, एक राय होकर आवेदक द्वारा बाजार से उधार में ली गई सामग्री रुपये 2,30,00,000/- दो करोड़ तीस लाख का भुगतान न करने एवं आवेदक द्वारा फर्म में लगाई गई अंश पूंजी एवं लाभांश हड़पने की नीयत से, कूटरचना करते हुए फर्म के पंजीयन की अवधि के रहते हुए ही, उक्त फर्म के पुनर्निर्माण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया गया जिस पर अनावेदक क्रमांक 05 द्वारा अपने अधिकार से अतिरेक जाकर एवं अनावेदक क्रमांक 01 से 04 तक से मेल मिलाप करते हुए उक्त भागीदारी विलेख का पुनर्निर्माण कर पंजीयन कर दिया गया, जबकि कार्यालय मुख्यालय उप-पंजीयक अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. के वर्तमान उप पंजीयक द्वारा दिनांक 03.10.2024 के पत्र क्रमांक/411/मु.उ.पं. / 2024 के माध्यम से थाना कोतवाली अम्बिकापुर के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि उप-पंजीयक कार्यालय (पंजीयन) में उन्ही दस्तावेजों का नियमानुसार संशोधन किये जाने का प्रावधान है जो पंजीयन कार्यालय में पूर्व से पंजीबद्ध किये गए हैं जबकि मेसर्स तिवारी कंस्ट्रक्शन प्रारंभ से कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं बिलासपुर से पंजीकृत हैं। 6 यह कि कार्यालय मुख्यालय उप-पंजीयक अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. के वर्तमान उप पंजीयक द्वारा दिनांक 09.10.2024 के पत्र क्रमांक/417/मु.उ.प. / 2024 के माध्यम से थाना कोतवाली अम्बिकापुर के समक्ष पुनः यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि, पंजीयन के कार्यालयीन अभिलेखों का अवलोकन किया गया, दिनांक 10.07.2024 को इस कार्यालय में पंजीबद्ध भागीदारी विलेख के प्रथम पैरा में जिस भागीदारी विलेख दिनांक 11.12.2017 के पुनर्निर्माण का उल्लेख किया गया है वह भागीदारी विलेख पंजीयक कार्यालय

(पंजीयन) अम्बिकापुर में पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 05 द्वारा आपराधिक षडयंत्र करते हुए अनावेदक क्रमांक 01 से 04 तक को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अनावेदक क्रमांक 01 से 04 के द्वारा प्रस्तुत किये गए फर्जी एवं कूटचिह्नित दस्तावेज के आधार पर कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं बिलासपुर से पंजीकृत भागीदारी विलेख का अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भागीदारी विलेख का पुनर्निर्माण कर पंजीकृत कर दिया गया जिसमें आवेदक को बिना उसकी सहमति एवं उसके अंशपूँजी का भुगतान किये बगैर, बिना सूचना के मेसर्स तिवारी कंस्ट्रक्शन फर्म से निकाल दिया गया। 7. यह कि, अनावेदक क्रमांक 01 से 04 द्वारा युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा समता कालोनी रायपुर में उक्त पुनर्निर्मित भागीदारी विलेख एवं दिनांक 28.11.2023 को आयोजित फर्म की बैठक के प्रस्ताव की प्रति, जिस पर आवेदक के फर्जी हस्ताक्षर कर उसकी प्रति देकर दिनांक 17.07.2024 को फर्म के दोनो खातों को अनहोल्ड करा दिया गया जबकि आवेदक द्वारा बिना आवेदक की सहमति के उक्त खातों के अनहोल्ड न किये जाने हेतु आवेदन पूर्व में ही दिनांक 31.05.2024 को युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा समता कालोनी रायपुर के समक्ष ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। 8. यह कि, अनावेदक क्रमांक 01 से 04 द्वारा युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा समता कालोनी रायपुर स्थित फर्म के दोनो खातों को अनहोल्ड करा लिया गया तथा उक्त खातों में जमा संपूर्ण रकम को आहरित कर लिया गया। 9. यह कि, अनावेदक क्रमांक 01 से 04 तक के द्वारा दिनांक 10.07.2024 को अनावेदक क्रमांक 05 के कार्यालय उप पंजीयक अम्बिकापुर (पंजीयन) जिला सरगुजा छ.ग. में उपस्थित होकर सुनियोजित साजिश करते हुए, एक राय होकर, कुटर्चना करते हुए फर्म के पंजीयन की अवधि के रहते हुए ही उक्त फर्म के पुनर्निर्माण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया गया जिस पर अनावेदक क्रमांक 05 द्वारा अपने अधिकार से अतिरिक्त जाकर एव अनावेदक क्रमांक 01 से 04 तक से मेल मिलाप करते हुए उक्त भागीदारी विलेख का पंजीयन कर दिया गया, जो अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। 10. यह कि, आवेदक द्वारा अनावेदकगण पर अपराध दर्ज किये जाने हेतु शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर थाना कोतवाली अम्बिकापुर द्वारा दिनांक 28-11-2024 का पुलिस अहस्तक्षेप योग्य मामला मानते हुए आवेदक को न्यायालय में जाने की सलाह दिया गया। आवेदक द्वारा दिनांक 29.11.2024 को पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक सरगुजा को शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर अनावेदकगण पर अपराध दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया परंतु आज पर्यन्त तक अनावेदकगण के विरुद्ध अपराध दर्ज नहीं किया जा रहा है। 11. यह कि, अनावेदकगण के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319 (2), 320, 322, 336 (3), 338, 340 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। 12. यह कि, अनावेदकगण द्वारा किया गया अपराध माननीय न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत होने से सुनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदक के आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अनावेदकगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने का निर्देश देने की कृपा करें। आवेदक दिनांक अम्बिकापुर

13 Action Taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है की अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the Investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.)(जाँच अधिकारी का नाम):

Rank (पद):

No. (सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

or (या)

(3) Refused Investigation due to (जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Tranferred to P.S.(थाना):

Action Taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है की अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

MANISH SINGH PARIHAR (I (Inspector)) /

District (जिला):

on point of Jurisdiction(को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/Informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14 Signature/Thumb Impression of the complainant /

(शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station:

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): MANISH SINGH PARIHAR

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known / (संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया)

S.No. (क्र. सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1955 /				
2	पुरुष	1975 /				
3	पुरुष	1965 / 60				
4	महिला	1995 / 30				

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Deformities/Peculiarities (विकृतियाँ/विशिष्टताएँ)	Teeth (दांत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (ल्यूकोडर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused. (यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)

Disclaimer- This is a system generated copy of original F.I.R.